न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 13/2022
दायर दिनांकः 14.07.2022
निर्णय दिनांक 12.11.2024

—:अनवानः—

श्री सुमेर सिंह पिता गोपाल सिंह जी जाति रावणा राजपुत उम्र 32 वर्ष निवासी कुलांची तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज) **— अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज.) **— रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार साहब आमेट अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 दिनांक 21.06.2022 प्रकरण संख्या 09 सन् 2022 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता अपीलांट,
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमंद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को ग्राम कुलांची पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0150 हैक्टर किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार साहब, आमेट ने अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया एवं अपीलांट को दिनांक 21.06.2022 को जवाब पेश करने हेतु कहा गया। जिस दिन अपीलांट न्यायालय तहसीलदार साहब, आमेट के वहां उपस्थित हुआ एवं अपीलान्ट ने तहसीलदार साहब आमेट को बताया कि उसका कई वर्षों पुराना पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है तथा विवादित आराजियात ग्राम आबादी के नजदीक होकर

न्यायालय जिला कलक्टर

मौके पर अपीलान्ट की दुकाने बनी हुई है व विवादित आराजियात पर अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा व दुकाने निर्मित होने से अपीलान्ट की कब्जेशुदा भूमि को बिलानाम होने की वजह से व आबादी के नजदीक होने की वजह से अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा होने की वजह से नियमानुसार नियमन किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत करने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा अधिवक्ता नियुक्त कर सबुत प्रस्तुत करने का समय चाहा, लेकिन तहसीलदार साहब आमेट ने अपीलान्ट को सुना ही नहीं और पत्रावली को बिना देखे ही अपीलान्ट के द्वारा निवेदन करने के उपरान्त भी अपीलान्ट का कब्जा अपीलान्ट द्वारा बताने पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 21.06.2022 को पारित कर दिया एवं तहसीलदार साहब, आमेट ने अपीलांट को इस संबंध में कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही उसी दिन पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत 91 की रिपोर्ट के साथ बेदखली पर्चा का अवलोकन कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए भूमि से बेदखली के आदेश करते हुए 50/– पचास रूपये की शास्ति से दण्डित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि के सर्वथा प्रतिकुल है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी कर अपीलांट को पूरा सुना ही नहीं गया एवं बिना सुने तथा बिना दस्तावेज देखे ही 50/– पचास रूपये के जुर्माने से दण्डित कर दिया एवं बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के ही विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष रखने के लिए कोई अवसर नहीं दिया एवं केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार मानते हुए मनमकसूद तरीके से अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जबकि मौके पर दुकाने बनी हुई है, यह तथ्य पटवारी रिपोर्ट में भी अंकित है। अपीलान्ट के नाम से दुकानों में विद्युत कनेक्शन भी हो रखा है। वादग्रस्त जमीन जिस पर अपीलांट का कब्जा है, जो अपीलांट के पूर्वाधिकारियो से पीढ़ियों से चला आ रहा है। जिस पर अपीलांट ने दुकाने बना रखी है व अपीलांट का वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। यही नहीं वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट ने काफी रूपया लगाकर पक्की दुकानें निर्मित कराई है व अपीलान्ट उन दुकानों में व्यापार कर अपने व अपने परिवार पालन–पोषण करता है एवं उक्त भूमि पर अपीलांट का वर्षों से कब्जा है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने, बिना उसके दस्तावेजों को देखे एवं बिना साक्ष्य लिये अपीलांट को अतिकमी मानते हुए अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। जो न्याय तथा विधि के सर्वथा प्रतिकुल है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान तहसीलदार साहब आमेट का निर्णय दिनांक 21.06.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलांट का मामला नियमन करने हेतु प्रेषित किया जावें।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित तथा तहसीलदार आमेट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कुलांची पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0150 हैक्टर किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार साहब, आमेट ने अपीलान्ट को धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी किया एवं अपीलांट को दिनांक 21.06.2022 को जवाब पेश करने हेतु कहा गया। जिस दिन अपीलांट न्यायालय तहसीलदार साहब, आमेट के वहां उपस्थित हुआ एवं अपीलान्ट ने तहसीलदार साहब आमेट को बताया कि उसका कई वर्षों पुराना पीढ़ियों से कब्जा चला आ रहा है तथा विवादित आराजियात ग्राम आबादी के नजदीक होकर मौके पर अपीलान्ट की दुकाने बनी हुई है व विवादित आराजियात पर अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा व दुकाने निर्मित होने से अपीलान्ट की कब्जेशुदा भूमि को बिलानाम होने की वजह से व आबादी के नजदीक होने की वजह से अपीलान्ट का वर्षों से कब्जा होने की वजह से नियमानुसार नियमन किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में अपीलान्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत करने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा अधिवक्ता नियुक्त कर सबुत प्रस्तुत करने का समय चाहा, लेकिन तहसीलदार साहब आमेट ने अपीलान्ट को सुना ही नहीं और पत्रावली को बिना देखे ही अपीलान्ट के द्वारा निवेदन करने के उपरान्त भी अपीलान्ट का कब्जा अपीलान्ट द्वारा बताने पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 21.06.2022 को पारित कर दिया और उसी दिन पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत 91 की रिपोर्ट के साथ बेदखली पर्चा का अवलोकन कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए भूमि से बेदखली के आदेश करते हुए 50/– पचास रूपये की शास्ति से दण्डित किया गया। जो न्याय तथा विधि के सर्वथा प्रतिकुल था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट का प्रकरण नियमन करने हेतु प्रेषित किया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि अनुसार आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी को सुनावई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। प्रकरण नियमन योग्य नहीं था। अपीलार्थी ने राजकीय भुमि पर अनाधिकृत कब्जा किया था। जो बेदखल होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम कुलांची पटवार हल्का सेफटिया तहसील आमेट जिला राजसमंद के खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0150 हैक्टर किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। जिसमें अपीलार्थी ने नोटिस की पालना में उपस्थित होकर उक्त बिलानाम भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर लम्बे समय से पुराना भवन बनाकर निर्माण करने का तथ्य अंकित किया हैं किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी के स्वयं के कथनो से यह स्पष्ट है कि मौके पर मात्र एक वाणिज्यिक दुकान बनाई हुई हैं, शेष भूखण्ड खाली पडा हुआ हैं। उक्त दुकान के पुराने निर्मित होने बाबत भी अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय व इस न्यायालय में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये, न ही अपीलार्थी द्वारा नियमन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी दस्तावेज पेश किये। वादग्रस्त भूमि बिलानाम भूमि है। बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित बेदखली का आदेश विधिसम्मत है। चूंकि वादग्रस्त भूमि बिलानाम भूमि है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश भी विधिसम्मत है व प्रकरण नियमन श्रेणी का भी नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा दिनांक 21.06.2022 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, आमेट को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि से अपीलांट का कब्जा हटाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावें।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार, आमेट को लौटायी जावे।

12/11/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद